पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2019

अनवान :

1. शिशपाल पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. विजयपाल पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. श्योचंद पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किसनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 के मु0नं0 4 के किला नं0 16 की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.240 है0, मु0नं0 12 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.771 है0 जिसमें से नहरी 1.758 है0 एवं रास्ता 0.013 है0 व चक नं0 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 11/2 की 0.114 है0, किला नं0 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 0.620 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम दर्ज है में प्रतिवादी श्योचंद के बजाय वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व प्रतिवादी श्योचंद का नाम कलमजन किया जावे। शेष चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 83/90 की 0.886 है0 तथा खाता सं0 35/32 की 0.632 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

9.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2019

अनवान :

1. शिशपाल पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. विजयपाल पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. श्योचंद पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री किसन यादव : **वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 09.05.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 के मु0नं0 4 के किला नं0 16 की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.240 है0, मु0नं0 12 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.771 है0 जिसमें से नहरी 1.758 है0 एवं रास्ता 0.013 है0 प्रतिवादी श्योचंद के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार चक नं0 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 11/2 की 0.114 है0, किला नं0 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 0.620 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम दर्ज है तथा इसी चक के खाता सं0 35/32 के मुरबा नं0 28 के किला नं0 18/2 की 0.126 है0, किला नं0 19, 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 0.632 है0 तथा खाता सं0 93/90 के मु0नं0 28 के किला नं0 17 की 0.253 है0, किला नं0 18/1 की 0.127 है0, किला नं0 23 व 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 0.886 है0 खातेदारी नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम खातेदारी दर्ज है।

वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र है। उक्त कृषि भूमि दादालाई पैतृक सम्पति है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद को अपने पिता इन्द्राज से विरासतन प्राप्त हुई है तथा इन्द्राज को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। वादीगण लगातार उक्त कृषि भूमि को कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि में अपना समस्त हिस्सा वादीगण के हक में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादी ने समस्त भूमि का आपस में बैठकर बंटवारा कर लिया है। बंटवारा में चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 की 1.771 है0 तथा चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

7/5 की 0.620 है0 वाद भूमि वादीगण के हिस्सा में आ गई है तथा चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 83/90 की 0.886 है0 तथा खाता सं0 35/32 की 0.632 है0 भूमि प्रतिवादी श्योचंद के हिस्सा में आ गई है जो उसके अलेके के नाम यथावत् रहेगी। उक्त भूमि के बदले में प्रतिवादी ने वाद भूमि में अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है, इसलिए अब उनका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

प्रतिवादी श्योचंद परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी श्योचंद के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वाद भूमि में प्रतिवादी द्वारा अपना कोई हक हिस्सा परित्याग कर देने के कारण प्रतिवादी की बजाय दोनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार बन चुके है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी ने इकबाल दावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी शिशपाल के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 बीआरडब्ल्यु खाता संख्या 4/5 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 7/5 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 83/90, 35/32 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र है। वाद कृषि भूमि दादालाई पैतृक सम्पति है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद को अपने पिता इन्द्राज से विरासतन प्राप्त हुई है तथा इन्द्राज को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। वाद कृषि भूमि में वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादीगण ने चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 व चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 बीआरडब्ल्यु खाता संख्या 4/5 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 7/5 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाऐ है उनमें वाद भूमि वादीगण के दादा इन्द्राज वल्द बस्ती के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में श्योचंद के वारिसान में पत्नी सावित्री, दो पुत्र शिशपाल व विजयपाल मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादी चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 83/90 की 0.886 है0 तथा खाता सं0 35/32 की 0.632 है0 भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम यथावत् रखे जाने व उक्त कृषि भूमि के बदले में प्रतिवादी वाद कृषि भूमि में से अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग करने पर सहमत है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 4/5 के मु0नं0 4 के किला नं0 16 की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.240 है0, मु0नं0 12 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.771 है0 जिसमें से नहरी 1.758 है0 एवं रास्ता 0.013 है0 व चक नं0 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 7/5 के मु0नं0 26 के किला नं0 11/2 की 0.114 है0, किला नं0 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 0.620 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम दर्ज है में प्रतिवादी श्योचंद के बजाय वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व प्रतिवादी श्योचंद का नाम कलमजन किया जावे। शेष चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 83/90 की 0.886 है0 तथा खाता सं0 35/32 की 0.632 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी श्योचंद के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

09.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)